उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–10
संख्या–ई–10–247सू0अ0/दस–2013
लखनऊ : दिनांक : 16 मई, 2013

समस्त जनसूचना अधिकारी एवं अनुसचिव/उपसचिव/संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मुख्यसचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक04–4–2013 का कार्यवृत्त जो कि प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के अशासकीय पत्र संख्या–97/43–2–13, दिनांक 16–4–2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा समस्त विभागों को प्रेषित किया गया है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(सुरेश चन्द्र)
अनुसचिव एवं
जनसूचना अधिकारी।

संख्या–ई–10–247सू0अ0(1)/दस–2013 तद्दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रभारी, निकनेट सेल, नवीन भवन।
(2) अनुसचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 को उनके अशासकीय पत्र संख्या–97/43–2–13, दिनांक 16–4–2013 के संदर्भ में।
(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
16/05
(सुरेश चन्द्र)
अनुसचिव एवं
जनसूचना अधिकारी।

कार्यालय, मुख्य सचिव
फैक्स ..... फोन नं. ह्क. ह्क.
पत्रांक.....

सं॰ 9. 225/ह्क-13

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2013 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :– संलग्नक के अनुसार।

बैठक का शुभारंभ करते हुए प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बैठक में उपस्थिति 21 विभागों के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दंडादेशों की स्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया। तत्पश्चात मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों के दण्ड के प्रकरणों तथा आरोपित दण्ड की धनराशि का अवलोकन किया गया तथा आयोग के आदेशों के कियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कियान्वयन करना हमारा दायित्व है तथा अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित सूचना को छोड़कर नियमानुसार वांछित सूचना मांगने पर समयान्तर्गत प्रदान करनी चाहिए। अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्रदत्त अर्थदण्ड की वसूली तत्परतापूर्वक की जाय।

मुख्य सचिव द्वारा एजेण्डा बिन्दुओं पर दिये गये निर्देश निम्नानुसार है:–

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1 जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध पारित दंडादेशों के कियान्वयन एवं वसूली की समीक्षा।

उक्त बिन्दु के संबंध में यह निर्देश दिया गया कि दण्डादेशों एवं अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में मासिक प्रारूप बनाया जाये तथा विभागों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जाय। प्रत्येक विभाग में इस संबंध में समन्वय कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि अर्थदण्ड की वसूली वेतन बिल बनाते समय की जाय।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा–4(1) (बी) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों की 16 बिन्दुओं की सूचनाओं में विभागवार अद्यतन स्थिति।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन विभागों की धारा–4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचनायें प्रदर्शित एवं अपलोड नहीं की गयी हैं, उन विभागों द्वारा अपने समस्त लोक प्राधिकरणों की सूचनायें बेवसाइट पर अपलोड की जाय तथा विभागों को इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर एक माह में अनुपालन आख्या मांगी जाय।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों की संख्या व उनके निस्तारण की स्थिति) तथा प्रपत्र 'स' (उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दण्ड तथा उनकी वसूली की स्थिति) की सूचना विभाग की बेवसाइट पर प्रदर्शित करना।

उक्त के सम्बन्ध में प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' एवं 'स' की सूचना विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।

(आलोक सिन्हा)
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन

(डा० ब्रज मोहन जोशी)
सचिव,
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(राजीव श्रीवास्तव)

कार्यालय, मुख्य सचिव
फैक्स .....दूरभाष, ई०पी०बी०एक्स०

ई. 9. 225/एस-13

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2013 का

कार्यवृत्त।

उपस्थिति :– संलग्नक के अनुसार।

बैठक का शुभारंभ करते हुए प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बैठक में उपस्थिति 21 विभागों के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दंडादेशों की स्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया। तत्पश्चात मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों के दण्ड के प्रकरणों तथा आरोपित दण्ड की धनराशि का अवलोकन किया गया तथा आयोग के आदेशों के कियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कियान्वयन करना हमारा दायित्व है तथा अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित सूचना को छोड़कर नियमानुसार वांछित सूचना मांगने पर समयान्तर्गत प्रदान करनी चाहिए। अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्रदत्त अर्थदण्ड की वसूली तत्परतापूर्वक की जाय।

मुख्य सचिव द्वारा एजेण्डा बिन्दुओं पर दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1 जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध पारित दंडादेशों के कियान्वयन एवं वसूली की समीक्षा।

उक्त बिन्दु के संबंध में यह निर्देश दिया गया कि दण्डादेशों एवं अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में मासिक प्रारूप बनाया जाये तथा विभागों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जाय। प्रत्येक विभाग में इस संबंध में समन्वय कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि अर्थदण्ड की वसूली वेतन बिल बनाते समय की जाय।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा–4(1) (बी) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों की 16 बिन्दुओं की सूचनाओं में विभागवार अद्यतन स्थिति।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन विभागों की धारा–4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचनायें प्रदर्शित एवं अपलोड नहीं की गयी हैं, उन विभागों द्वारा अपने समस्त लोक प्राधिकरणों की सूचनायें बेवसाइट पर अपलोड की जाय तथा विभागों को इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर एक माह में अनुपालन आख्या मांगी जाय।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों की संख्या व उनके निस्तारण की स्थिति) तथा प्रपत्र 'स' (उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दण्ड तथा उनकी वसूली की स्थिति) की सूचना विभाग की बेवसाइट पर प्रदर्शित करना।

उक्त के सम्बन्ध में प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' एवं 'स' की सूचना विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।

(आलोक सिन्हा)
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन

(डा० ब्रज मोहन जोशी)
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(राजीव श्रीवास्तव)
सचिव,
शासन।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–4 उ0प्र0 सूचना आयोग में सचिव का पद भरा जाना।

उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया कि राज्य सूचना आयोग में सचिव के पद पर नियुक्ति के संबंध में अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सचिव का पद शीघ्र भरा जाय।

(कार्यवाही–नियुक्ति विभाग द्वारा)

राज्य स्तरीय समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारियों को सुनवाई हेतु भेजे जाने वाला नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाय। क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत Default की जिम्मेदारी व्यक्तिगत प्राविधानित की गयी है।

(कार्यवाही राज्य सूचना आयोग)

धन्यवाद सहित बैठक समाप्त।

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
संख्याः 97 /43–2–2013
लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य स्तरीय समिति के सदस्यगण।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
अनु सचिव।

11	उच्च शिक्षा			
12	आवास एवं शहरी नियोजन	राकेश कुमार सिंह विशेष सचिव		
13	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	Dr. Kajal Special Secy	9454413509	
14	सिचाई	एस॰ पी॰ गोयल सचिव	9453050000	
15	औद्योगिक विकास	[illegible]	9415[illegible]202	
16	समाज कल्याण	बी॰ बी॰ सिंह विशेष सचिव	9454411330	
17	खाद्य एवं रसद	[illegible] विशेष सचिव	9454412461	
18	गृह	आर॰ एन॰ उपाध्याय सचिव	9454412738	
19	लोक निर्माण			
20	महिला एवं बाल विकास	कामिनी चौहान खन्ना		4/4/13
21	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	लीना जौहरी, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण	9450623774	
22	सहकारिता	वहीद उल्लाह संयुक्त सचिव सह.	9412422796	
23	वन विभाग	[illegible]	9454-13880	
24	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	[illegible]	9721012349	
25	बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विभाग	[illegible] विशेष सचिव	9454413806	

उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्डों के वसूली के अनुश्रवण के संबंध में दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

कमांक	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम व पदनाम	मोबाइल न0	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	न्याय			
2	कार्मिक	राजीव कुमार	9473550000	
3	सचिवालय प्रशासन	अवनीश कुमार अवस्थी	9415115034	
4	ग्राम्य विकास	राजीव कुमार	9415757696	
5	माध्यमिक शिक्षा			
6	राजस्व	किशनसिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव राजस्व अनिल कुमार, सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद		
7	बेसिक शिक्षा	याद अली संयुक्त सचिव	9454412296	
8	नगर विकास	देवाशीष राय विशेष सचिव	9454413260	
9	पंचायतीराज	डी0 के0 सिंह विशेष सचिव	9454141601	
10	ऊर्जा विभाग	एल0 पी0 मिश्र वि0 सचिव		
11	उच्च शिक्षा	अशोक कुमार विशेष सचिव	9415319346	

21